अनु०द०ब०

25.04.17 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष उपस्थित है। द्वितीय पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व एवं s/c हेतु समय की मांग आवेदन की गई है। पीठासीन पदाधिकारी अन्य कार्य में व्यस्त है।

16.11

अभिलेख दिनांक 16.05.17 को रखें।

अनु०द०ब०

16.05.17 अभिलेख उपस्थापित। प्रथम पक्ष के एक सदस्य उपस्थित है एवं अनुपस्थित सदस्य की ओर से प्रतिनिधित्व हेतु आवेदन दी गई है। द्वितीय पक्ष ~~अनुपस्थित है~~ उपस्थित है।

उक्त वाद की वैधानिक समयावधि 6 माह समाप्त हो चुकी है एवं किसी भी पक्ष के द्वारा अवधि विस्तार हेतु आवेदन दाखिल नहीं किया गया है।

अतः वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

16/05/17